देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

क्रमांक : प्रशासन / 2020 / 339 दिनांक :– 21 / 03 / 2020

/ / आदेश / /

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 38 / एसीएस / जीएडी / 2020, दिनांक 19 मार्च 2020 के अनुक्रम में कोरोना वायरस (COVID-19) की रोक–थाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय संबंधी उल्लेखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश प्रदान किये गये हैं। तद्नुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के पत्र क्रमांक प्रशासन / 2020 / 344, दिनांक 20 मार्च 2020 के द्वारा उक्त निर्देशों की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु परिपत्र जारी किया गया है।

राज्यपाल के अपर सचिव, राजभवन भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 446 / रा.स. / यू.ए.–3 / 2020, दिनांक 20 मार्च 2020 में दिये गये आदेशानुसार शैक्षणिक कार्य बंद होने के तारतम्य में शैक्षणिक कार्य में लगे स्टॉफ के लिए दिनांक 31 / 03 / 2020 तक अवकाश घोषित किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ0क्रमांक : प्रशा. / 2020 / 339 दिनांक :–21 / 03 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के अपर सचिव, राजभवन भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 446 / रा.स. / यू.ए.–3 / 2020, दिनांक 20 मार्च 2020 के संबंध में सूचनार्थ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभवन की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक / विभाग प्रमुख, समस्त अध्ययनशालाएं / संस्थान, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
6. प्राचार्य / शासी निकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से संबद्धता प्राप्त समस्त अशासकीय महाविद्यालयों की ओर सूचनार्थ।
7. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. कुलपति के सचिव के माध्यम से माननीय कुलपतिजी की ओर सूचनार्थ नस्ती।

उप–कुलसचिव (प्रशा.)